AE CSPDCL NEW RAIPUR
Reciept No. ....
Date ....

प्रपत्र–2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
निम्नदाब विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र

स्व. हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो

प्रति,
सहायक/कनिष्ठ अभियंता,
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.
....

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता/करते हैं। इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन (घरेलू/गैर घरेलू/कृषि/कृषि एलाईड/औद्योगिक/सार्वजनिक)
2. आवेदक/संस्थान का नाम..
3. पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम ....
4. परिसर का पता (जहां नवीन कनेक्श्न/के लिये आवेदन किया जा रहा हैं) ....

   मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक .... सड़क/क्षेत्र/कालोनी.............................. कस्बा/शहर/गांव...............................

   विकास खण्ड.............................जिला..................................मोबाईल नंबर....................................ई–मेल (यदि उपलब्ध है तो)...............................आधार कार्ड कमांक..................................बी.पी.एल. सर्वे सूची का कमांक.......................... पड़ोसी का स्थाई कनेक्शन कमांक (यदि उपलब्ध है तो)..........................सपीपस्थ विद्युत खम्में का कमांक जहां से कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा रहा है।
5. आवेदक का स्थाई पता, यदि कमांक –4 से पृथक हो तो

   मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक .... सड़क/क्षेत्र/कालोनी.............................. कस्बा/शहर/गांव...............................

   विकास खण्ड...................................जिला...
6. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लाट का क्षेत्रफल..............................(वर्गफुट)/ ....(वर्गफुट)
7. विद्युत आपूर्ति का प्रकार – स्थायी/अस्थायी

   अस्थायी कनेक्शन की अवधि.......................................से ....तक
8. प्रस्तावित कुल संयोजित भार................................ किलो वाट / ....एच.पी.
9. समीपस्थ निम्न दाब लाईन के खम्मे से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी .... मीटर।
10. क्या आवेदन के नाम से अनुज्ञप्तिधारी की कोई बकाया राशि शेष है ? – हॉ/नही
11. क्या स्थल–जहॉ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है, पर कोई बकाया राशि शेष है ? – हॉ/नही
12. शासन द्वारा अधिकृत विद्युत लाईसेंस ठेकेदार का नाम जिसके द्वारा आवेदित परिसर में विद्युत वायरिंग कार्य किया गया है – नाम व पता : .... लाइसेंस कमांक..
13. उपरोक्त परिसर (जो लागू हो का निशान लगावें)

    अ. मेरे स्वामित्व अधिकार में है जिसके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है।

    ब. मेरे द्वारा किराये पर लिया गया है एवं परिसर स्वामी का अनापत्ति पत्र संलग्न है।
14. परिसर में विद्युत खपत रिकार्ड करने के लिए (जो लागू हो √ का निशान लगावें)

    अ. निर्धारित शर्तों पर स्वयं का मीटर लगवाना चाहता हूँ।

    ब. निर्धारित शर्तों पर विद्युत वितरण कंपनी का मीटर लगवाना चाहता हूँ।

15. उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्धेश्य के निम्न बिंदु पर मै/हम सहमत है :–

क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, एवं अन्यथा की स्थिति मे विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी।

ख. यह कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्यु वितरण कंपनी मर्यादित जिसका आगे चलकर 'वितरण कंपनी' के नाम से उल्लेख है, उपभोक्ता को 230/400 वोल्ट पर कंडिका 3 में दर्शाए हुए स्थान पर विद्युत आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता इसका उपयोग कंडिका 7 में दर्शाए प्रयोजन के लिए और कंडिका 9 मे घोषित भार की सीमा तक ही करेगा।

ग. यह कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी हो जाने पर 'वितरण कंपनी' उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता की सूचना देगी। सूचना के उपरांत एक माह की अवधि में उपभोक्ता को कनेक्शन लेना होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने से अगले दिन से अथवा कनेक्शन लेने की तिथि से अनुबंध प्रभावशील होगा। यह अनुबंध विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

घ. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगें। इन प्रभारों में परिवर्तनीय ईंधन मूल्य, समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगें।

ड. यह की उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय–समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।

च. यह कि उपभोक्ता परिसरपर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हों, में स्थानान्तरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।

छ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नही करेगा।

ज. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जांच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा।

झ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपयोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराये पर देने का कार्य नही करेगा।

ञ. यह कि आवेदक द्वारा कनेक्शन के पूर्व परिसर के विद्युत वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट उपरोक्त लाईसेंसी ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर विद्युत वितरण कंपनी को प्रस्तुत किया जावेगा।

ट. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय–समय पर किये गये संशोधनों के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालन करने हेतु बाध्य होगा। अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्ही के यथा संदर्भानुसार की जावेगी।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
आवेदक ने हस्ताक्षर किये
(नाम व पता)

1) गवाह :–

2) गवाह :–

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक......................

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किये
(नाम व पता)

1) गवाह :–

2) गवाह :–

वितरण कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संभाग...

दिनांक...